न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 39/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 प्रहलाद पिता जगदीश धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 प्रेम देवी पत्नि स्व. जगदीश धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
3 भंवरलाल पिता जगदीश धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
4 मुकेश पिता जगदीश धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
5 महावीर पिता श्रीकिशन धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 गोपाल पिता बन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 चन्दरी पत्नि स्व.बन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
3 छोटू पिता पन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
4 नोरत पिता पन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
5 बद्री पिता भेरू धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
6 बरदीचन्द पिता बन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
7 बाली पत्नि पन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
8 भंवर पिता पन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
9 रमेश पिता पन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
10 रामकिशन पिता बन्ना धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
11 नन्दा पिता रामकरण धोबी उम्र–वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
12 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)
13 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुनील कुमार शर्मा––––––– प्रार्थीगण अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां
श्री विजय पाराशर––––––अप्रार्थी संख्या 06, 10 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 04.03.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फूलियाकलां पटवार मण्डल क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित खसरा संख्या 4498 प्रार्थीगण के पक्ष में सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं आराजी संख्या 4477 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म गै.मु.आचा अप्रार्थी संख्या 11 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी संख्या 05 महावीर धोबी ने अपने काबिज खसरे 4498 की पिलाई हेतु गै.मु आचा से पिलाई खरीद की हुई है।

2023.06.06 12:12

गै.मु.आचा 4477 से आराजी संख्या 4483, 4496, 4488 तक तो पिलाई के उद्देश्य से भूमिगत पाईप लाईन दबाई हुई है। लेकिन अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 4497 मे से पाईप लाईन निकालने मे रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 10 की आराजी संख्या 4497 मे से भूमिगत पाईप लाईन निकाले जाने बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे मे पिलाई/सिंचाई हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 4497 मे से भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति दिलायी जाना फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 08.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी क्रम 06, 10 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 4497 मे से भूमिगत पाईप लाईन निकलवाये जाने के अधिकारी नहीं है। गै.मु.आचा 4477 से आराजी संख्या 4483, 4496, 4488 तक तो पिलाई के उद्देश्य से भूमिगत पाईप लाईन दबाई हुई होने एवं पाईप लाईन की आवश्यकता होने का कथन असत्य पेश किया गया है। यदि प्रार्थीगण को चाहे अनुसार स्वीकृति दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि रिकार्ड एव मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार भूमिगत पाईप लाईन डाले जाने प्रस्ताव भिजवाया जावे, जिसके अनुपालन मे तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया गया है कि गै.मु.आचा 4477 से आराजी संख्या 4483, 4496, 4488 तक तो पिलाई के उद्देश्य से भूमिगत पाईप लाईन पहले से दबाई हुई है। अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज आराजी संख्या 4497 मे से भूमिगत पाईप लाईन निकाला जाना प्रार्थीगण के लिए सुविधाजनक व उचित होगा।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनो/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी संख्या 05 महावीर धोबी ने अपने काबिज खसरे 4498 की सिंचाई हेतु गै.मु आचा से पिलाई खरीद किया जाना अवगत कराया है। जिसके समर्थन ईकरार नामा भी हमराह प्रस्तुत कराया है। गै.मु.आचा 4477 से आराजी संख्या 4483, 4496, 4488 तक तो पिलाई के उद्देश्य से भूमिगत पाईप लाईन पहले से दबाया हुआ होना बताया गया है जो राज्य पक्ष से तलब की गई मौका रिपोर्ट से भी साबित होता है। प्रार्थीगण ने इस भूमिगत पाईप लाईन की आत्यंतिक आवश्यक्ता होना सिद्ध किया है। हल्का पटवारी रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सिंचाई/पिलाई का विधिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थीगण के चाहे अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 10 की हक स्वामित्व की आराजी संख्या 4497 में से भूमिगत पाईन लाईन निकाले जाने हेतु अनुमत किया जाना न्यायालय आवश्यक समझता है। इस प्रकार प्रार्थीगण पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम प्रस्तुत दलील अभिवचन स्वीकृत किये जाते है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 से 10 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित आराजी संख्या 4477 किस्म गै.मु. आचा से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 4498 की सिंचाई/पिलाई हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 10 के हक स्वामित्व के खसरा संख्या 4497 की मेड के सहारे सहारे भूमिगत पाईप लाईन निकाले जाने की आज्ञा न्यायालय प्रदत्त करता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा